प्रेस नोट

दीव में खुले स्थान पर शराव सेवन मना

दीव में आजकल कुछ शरारती लोगों द्वारा खुलेआम शराब पीकर शराब की बोतल को रास्ते के ऊपर तोड़कर फेंक दिया जाता है एवं यह भी देखने को मिलता है कि शराब दुकान के सामने या अन्य खुले स्थान पर बेझिझक शराब का सेवन किया जाता है । इससे दीव में आने वाले पर्यटकों को मुक्त रूप से घुमने में अडचनें आती हैं तथा आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । कभी-कभार आम नागरिक को रास्ते पर परिवार के साथ जाने में डर भी लगता है । सार्वजनिक रूप से शराब के सेवन से कभी-कभी झगड़ा होता है एवं मारपीट के हालात उत्पन्न होने से जान-जीवन को खतरा पहुँचता है । इससे जहॉ एक ओर शांति का वातावरण बिगडता है, वहीं कानून व्यवस्था भी चरमरा जाती है ।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दीव समाहर्ता एवं जिलाधीश ने एक आदेश जारी करते हुए सर्वसाधारण को यह सूचित किया है कि गोवा, दमण एवं दीव आबकारी अधिनियम, 1964 के तहत खुले में शराब पीना नियम विरूद्ध है । आदेश में यह भी कहा गया है कि लाइसेंस परिसरों के अलावे किसी भी सार्वजनिक जगह पर जैसे- समुद्रतट, सार्वजनिक सड़क, पार्किंग स्थल, किसी प्लाजा आदि पर खुले में शराब पीना गैर-कानूनी है । यह आदेश दिनांक 1 मार्च,2018 से अगले 60 दिनों तक के लिए लागू किया गय है । इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारती दण्ड संहित, 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी ।

~~~~~~~
~~~~~~~